रजिस्टर्ड सं. डी-222 REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20, 1973/आश्विन 28, 1895
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1973/ASVINA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1973

सा. का नि. 1138.—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवाएं नियम 12 के उप-नियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 1973 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1965 के विनियम 8 के उप-विनियम (6) में खंड (4) के बाद निम्नलिखित खंड अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) ऐसे उम्मीदवारों को, जो 1974 तथा उसके बाद ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठेंगे, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने से पहले परीक्षा के एक भाग के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ली जाने वाली टाइपराइटिंग की परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से पास करनी होगी और उन पर इससे पूर्ववर्ती खंडों में दी गई व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी।"

किन्तु यह कि किसी ऐसे उम्मीदवार को जो उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात सिविल सर्जन का एक ऐसा प्रमाण-पत्र साथ भेजे जिसमें उम्मीदवार को विकलांगता के कारण सदैव के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा पास करने के लिए असमर्थ घोषित किया गया हो, तो केन्द्रीय सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय की पूर्वानुमति से ऐसी परीक्षा में बैठने तथा अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा से मुक्त किया जा सकता है।

[सं. 18/1/73-के.स.-2(1)]

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Gestetner Operator (Senior)

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Gestetner Operator (Senior)	Two	General Central Service, Class III Ministerial (Non-gazetted)	Rs. 110-3-125	Non-selection	Between 18 and 25 years	1. Matriculation or equivalent, 2. Should have proficiency in handling Gestetner duplicating machines.

Whether age & educational qualification etc. prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion to be made	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Gestetner Operator (Junior) with 5 years service in the grade.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

L. N. LADDHA, Deputy Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 27 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 1148—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 मे अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् .

1. (1) इन नियमो को आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन), नियमावली 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची मे, क्रम संख्या 21 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियो के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्

1	2	3	4	5	6	7
22	निदेशक (सुरक्षा)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 (राजपत्रित)	रु० 1600-100-1800	लागू नही होता	लागू नही होता

8	9	10	11	12	13	14
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:** केन्द्रीय पुलिस फोर्स या राज्य पुलिस फोर्स से उप-महानिरीक्षक पुलिस के वर्जे के उपयुक्त अधिकारी (सामान्यतया प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है।

[सं० एफ–1/2/73–बी (ए)]

ए० बी० नारायणन, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

G.S.R. 1148 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No. 21 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"22.	Director (Security)	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 1600-100-1800.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	**Transfer on deputation** Suitable officers of the rank of Deputy Inspector General of Police from the Central or State Police Forces. (Period of deputation—ordinarily not exceeding four years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from Consultation), Regulations, 1958.

[No. 1/2/73-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

शिक्षा तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1973

The following translation in Hindi of the Government Museum and Art Gallery (Curator) Recruitment Rules, 1973 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of section 5, read with sub-section (3) of Section 3, of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

सा. का. नि. 1149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन सरकारी संग्रहालय और कला गैलरी संग्रहालय-अध्यक्ष के वर्ग 1 पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम सरकारी संग्रहालय और कला गैलरी (संग्रहालय-अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी,

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।